

**राजस्थान सरकार**  
**निदेशालय, कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर**

क्रमांक :— एफ4(ई)अलेसे—गा / ३७८

दिनांक :— २४.०३.२०२१

**कार्यालय आदेश**

निम्न कनिष्ठ लेखाकारों को यूजी.सी. नेट परीक्षा 2021 में प्रविष्ट होने की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

क्र. सं.	लिंक नं.	नाम का लेखाकार	आयोजक संस्था	पदस्थापन कार्यालय
1.	11597	कुलदीप सिंह	एन.टी.ए.	उपकोषालय, पिण्डवाड़ा (सिरोही)
2.	11031	खुशबू गुप्ता	एन.टी.ए.	अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग जिला खण्ड झुन्झुनू
3.	10932	आकांक्षा चौधरी	एन.टी.ए.	कोषालय, झुन्झुनू

उक्त स्वीकृति राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम 1971 के प्रावधानों एवं नियुक्ति आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त निम्न शर्तों के अध्यधीन होगी :—

- 1 शिक्षण संस्थान में अध्ययन का समय कार्यालय समय के समान ही हो तो अध्ययन स्वीकृति स्वतः समाप्त मानी जायेगी।
- 2 विभाग की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना अध्ययन जारी रखने एवं परीक्षा में सम्मिलित होने पर आपके विरुद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- 3 परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति के अन्तर्गत परीक्षा दिवसों के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 4 उक्त स्वीकृति दिये जाने से किसी स्थान विशेष पर पदस्थापन निरन्तर रखने का अधिकार नहीं मिल सकेगा और इस दौरान अन्यत्र स्थानान्तरण किया जा सकता है।
- 5 उक्त स्वीकृति के कारण राजकीय कार्य सम्पादन में किसी प्रकार की बाधा/ व्यवधान उत्पन्न होने पर यह स्वीकृति समाप्त कर दी जायेगी।
- 6 परीक्षा की तैयारी हेतु किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जावेगा।
- 7 प्रशासनिक कारणों से उक्त स्वीकृति बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त की जा सकती है।

+  
 (सर्वेश कुमार तिवाड़ी)  
 निदेशक

क्रमांक :— एफ4(ई)अलेसे—गा / ३७८

दिनांक :— २४.०३.२०२१

प्रतिलिपि निमांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. संबंधित विभाग/ कार्यालय .....
2. निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित कार्मिक .....

d  
 (शिल्पी कौशिक)  
 अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक—गा)